

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा फरवरी, २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- i. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में 02 मामलों (02 प्रकार्यात्मक निदेशक) की नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की अठारह (18) नियुक्तियां, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यकारी की दो (02) नियुक्तियां की गईं। समयपूर्व प्रत्यावर्तन के तीन (03) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति के तीन (03) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति के दो (02) प्रस्तावों, मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त चार (04) अधिकारियों को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव देकर बनाये रखा गया है।
- ii. सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) के पद के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016 के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा संस्तुत किए गए 407 उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- iii. फरवरी महीने के दौरान आईएसटीएम में 29 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इन कार्यक्रमों में 08 सीएसएस-सीटीपी (स्तर-ड., स्तर-घ, स्तर-ख, स्तर-क और एएसओडीआर) कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 725 थी।
- iv. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में क्रमावर्ती स्थानान्तरण संबंधी आदेश दिनांक 20.02.2018 के कार्यालय आदेश सं. 3/1/2017-सीएस-11(क) के माध्यम से जारी किए गए थे।
- v. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में दिनांक 21.02.2018 को एक रक्तदान शिविर लगाया गया था और इस शिविर में 78 कर्मचारियों ने रक्तदान किया था।

2. उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं :-

- क) दिनांक 18.02.2018 को हुए त्रिपुरा विधान सभा, दिनांक 27.02.2018 को हुए मेघालय एवं नागालैंड की विधान सभाओं के आम चुनावों के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश प्रदान करने के लिए दिनांक 19.02.2018 के का.जा.सं. 12/3/2016-जेसीए-2 के माध्यम से आदेश जारी किए गए।
- ख) “जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियमावली, 2018” दिनांक 19.02.2018 की अधिसूचना सं. 15012/1/2014-स्था.(घ) के माध्यम से जारी की गई।
- ग) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि संविदा सहित) के संबंध में अधिकतम आयु सीमा विहित करने के लिए दिनांक 05.02.2018 के का.जा.सं. एबी-14017/7/2017-स्था.(आरआर) के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए।
- घ) प्रशासन तथा संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के बीच कार्यालयी संव्यवहार संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 07.02.2018 के का.जा.सं. 11013/4/2018-स्था.क-III के माध्यम से जारी किए गए।
- ड) अस्थायी दर्जे वाले दैनिक मजदूरों के लिए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की अनुप्रयोज्यता संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 19.02.2018 के का.जा.सं. 49011/2/2017-स्था.(ख) के माध्यम से जारी किए गए हैं।